

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 266)

16 वैशाख 1942 (श0) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

वाणिज्य कर विभाग

_____ अधिसूचना 6 मई 2020

एस॰ ओ॰ 109, दिनांक 6 मई 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल ,वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 212 दिनांक 08.05.2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 598 दिनांक 08.05.2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उक्त व्यक्तियों को, जो प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे से युक्त विवरण देने के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कर अविधयों के लिए बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी दिया है, ऐसे करदाता वित्तीय वर्ष 2019-2020 के सभी कर अविधयों के लिए उक्त नियमावली के प्ररुप जीएसटीआर-1 में मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति का विवरण या प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के भगतान के ब्यौरे से युक्त विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।"

[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-8) 782)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 मई 2020

एस० ओ० 109, दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—8) 782)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 6th May 2020

S.O. 109, Dated 6th May 2020 - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 212 dated the 08.05.2019 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 598 dated the 08.05.2019, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that the said persons who have, instead of furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** have furnished a return in **FORM GSTR-3B** under the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) for the tax periods in the financial year 2019-20, such taxpayers shall not be required to furnish the statement in outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the said rules or the statement containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** for all the tax periods in the financial year 2019-20."

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8) 782)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 266-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in